न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/188

ओम प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा ।
----अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा जरिये मुख्तार आम खेमराज यादव पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद जी जाति अहीर निवासी रंगबाडी कोटा जिला कोटा ।
2. हरनारायण पुत्र श्री मथुरा लाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा
3. राज्य सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 के पिता मांगीलाल रिश्ते में सगे भाई हैं । प्रार्थी के तन्हा खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 04 बीघा एवं अप्रार्थी कम 1 के पिता मांगीलाल के तन्हा खाते व कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 69 की 04 बीघा तथा अप्रार्थी कम 2 के खाते में खसरा नम्बर 69 रकबा 08 बीघा भूमि ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है । पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित हुई जिसकी अनुपालना में मांगीलाल के खाते व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 04 बीघा (मध्य की) आराजी जरिये इंतकाल संख्या 264 दिनांक 23.05.2000 से अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज हुई । पक्षकार

अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 04 बीघा (गडार के लगवा की) नये खसरा नम्बर 160 रकबा 0.64 हैक्टर कायम करके नवीन नक्शा सन् 1998–99 में मौके के वास्तविक स्थान 'ए' बिन्दु से भिन्न स्थान 'बी' बिन्दु पर त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित कर दिया तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी क्रम 1 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 04 बीघ (मध्य की) आराजी के नये खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 कायम करे मौके के वास्तविक स्थान 'बी' बिन्दु से भिन्न स्थान 'ए' बिन्दु पर त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित कर दिया जबकि अप्रार्थी क्रम 2 के खाते व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 08 बीघा पूर्वी आराजी के नये खसरा नम्बर 155 रकबा 1.30 हैक्टर कायम करके मौके के वास्तविक स्थान 'बी' बिन्दु पर ही अंकित किया जो सही है किन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की आराजी को परस्पर एक–दूसरे के स्थान पर त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित कर दिया जबकि सेटलमेंट विभाग को राजस्व नक्शे में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किये गये उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज प्रार्थी के काश्तकारी अधिकारों व हितों के विपरीत प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर है ।

3. अतः अप्रार्थी क्रम 1 को ताफैसला दावा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी जिसके सेटलमेंट द्वारा हाल खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हैक्अर कायम किये गये हैं में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । अप्रार्थी क्रम 1 उक्त आराजी को रहन, बेचान, दान बय एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी क्रम 1 करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी क्रम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व नक्शे में किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 161 की 0.65 हैक्टर आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वह काबिज काश्त है । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस भी पूर्व नक्शे के अनुसार बनाया गया था जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । नक्शा दुरूस्ती हेतु काननून हक घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पोषनीय नहीं था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हैक्टर के सम्बन्ध में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व नक्शे में त्रुटि किया जाना मानते हुए अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट खातेदार कृषक है और काबिज काश्त है । राजस्व रिकॉर्ड में भी अपीलान्ट का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज है । भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस भी पूर्व नक्शे के अनुसार बनाया गया था जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । खातेदार एवं काबिज काश्त व्यक्ति के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । बिना शहादत के यह तय नहीं किया जा सकता कि सेटलमें विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट की आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज की है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं था फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2013 (1) पेज 123, आरआरटी 2015 (2) पेज 756, डीएनजे 2015 पेज 235, आरआरटी 2013 पेज 133, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, आरआरडी 2016 पेज 102 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के बाबत् पेश किया गया था । सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से हाल खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हैक्टर अपीलान्ट के खाते मेंदर्ज कर दी है जबकि इस पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है । नक्शा ट्रेस में इन्द्राज त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा जो दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111, 112 एवं 128 से सम्बन्धित नहीं है । वादी के खाते की आराजी को गलत रूप से प्रतिवादी अपीलान्ट के खाते में दर्ज कर दिया है जबकि इस पर कब्जा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का ही है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पाया गया है । गडार के पास वाली आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की है जो गलत रूप से अपीलान्ट के खाते में दर्ज की गई हैं । धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय दावे के गुणावगुण के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न भी मिश्रित प्रश्न है जो तथ्य और विधि का है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायलाय ने विधि सम्मत रूप से निर्णित कर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1995 (राज0) पेज 17 एवं डीएनजे 2007 (3) पेज 1182 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 संलग्न है जिसके अनुसार लटूर बेटा लक्ष्मीनारायण के खाते में खसरा नम्बर 69 की 04 बीघा भूमि अन्य खसरा नम्बरान के साथ दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 संलग्न है जिसके अनुसार मांगीलाल के खाते में साबिक खसरा नम्बर 69 की 04 बीघा भूमि दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के अनुसार हरनारायण पुत्र मथुरा लाल के खाते में कुल 09 किता की 3.37 हैक्टर आराजी दर्ज है । फोटो प्रति नकल

जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के अनुसार नया खाता संख्या 07 की कुल 09 किता की 4.58 हैक्टर आराजी ओम प्रकाश पुत्र मांगीलाल के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हैक्टर आराजी भी दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 105 की कुल 07 किता की 8.89 हैक्टर आराजी लटूर पुत्र लक्ष्मीनारायण के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 160 रकबा 0.64 हैक्टर भूमि भी दर्ज है । इसके अलावा मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 169 मिन के हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हैक्टर बने हैं । पत्रावली पर हाल खसरा नम्बरान को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस भी संलग्न किया गया है।

10. अपील में रेस्पोडेन्ट की ओर से कुछ दस्तावेजात पेश किये गये हैं इसमें साबिक खसरा नम्बरान को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस पेश किया गया है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 69 अंकित है और इस साबिक खसरा नम्बर 69 के हाल खसरा नम्बर 160, 161 और 153 बने हैं । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि उसके खाते की खसरा नम्बर 69 मिन का हाल खसरा नम्बर 161 बना है जो गलत रूप से अपीलान्ट के खाते में दर्ज किया गया है परन्तु साबिक और हाल खसरा नम्बर मिलाने और साबिक और हाल रिकॉर्ड का मिलान करने पर प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि साबिक खसरा नम्बर 69 में तरमीम नहीं की गई थी और इस खसरा नम्बर 69 का रकबा 04 बीघा अपीलान्ट और 04 बीघा रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज थी और मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 69 मिन रकबा 04 बीघा अैर खसरा नम्बर 69 मिन रकबा 04 बीघा के हाल खसरा नम्बर 160 और 161 बने हैं जो कि नक्शा ट्रेस में पृथक–पृथक दर्शाते हुए हैं । अपीलान्ट के खाते में खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हैक्अर दर्ज की गई है और रेस्पोडेन्ट के खाते में खसरा नम्बर 160 रकबा 0.64 हैक्टर आराजी दर्ज की गई है । सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हैक्अर अपीलान्ट के खाते में दर्ज किया गया अथवा नहीं यह साक्ष्य के आधार पर मूल दावे में तय होगा इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 0.65 हैक्टर अपीलान्ट के खाते में दर्ज है और खातेदार कृषक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2013 (1) पेज 123, आरआरटी 2015 (1) पेज 633 यहॉ चस्पा होती हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2017 निरस्त किया जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.7.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा